क्रम संख्या–221

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 23 नवम्बर, 2011 ई०
अग्रहायण 02, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

न्याय विभाग

संख्या 210 / XXXVI (1) / 2011–98 / 2010
देहरादून, 23 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

प० आ०–142

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (कर्मचारियों की सेवा) नियमावली, 2011

भाग 1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (कर्मचारियों की सेवा) नियमावली, 2011' है।